

सहकारिता

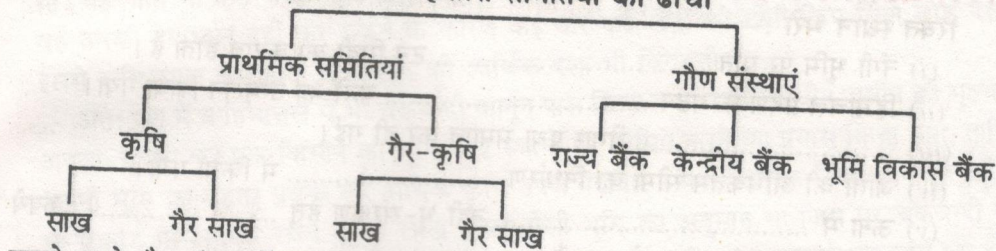
हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में सहकारिता आन्दोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहकारिता शब्द अंग्रेजी के को ओपरेशन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ को (सह) ओपरेशन (कार्य) मिल-जुल कर काम करना है। यह समानता व स्वेच्छा पर आधारित होता है और इसका लक्ष्य है आर्थिक हितों को बढ़ाना। भारत में सहकारिता पर पहला अधिनियम 1904 में बना। इस क्षेत्र में हिमाचल उत्तरी भारत में अग्रणी रहा। समस्त उत्तरी भारत में पहली सहकारी समिति जिला ऊना के पंजावर गांव में 1912 में स्थापित हुई। परन्तु सहकारिता आन्दोलन ने गति स्वतन्त्रता प्राप्ति एवं हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद पकड़ी। 1948 में पहाड़ी रियासतों में सिर्फ 663 सहकारी समितियां थी जबकि 1990 में राज्य में 3841 समितियां थी। इस समय 100 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को सहकारिता के क्षेत्र में सांझीदार बनाया जा चुका है। हिमाचल में सहकारिता का विकास बहु-आयामी अर्थात् अनेक दिशाओं में हुआ है।

सहकारिता का ढांचा

राज्य में दो प्रकार की सहकारी संस्थाएं हैं—(i) प्राथमिक (ii) गौण। प्राथमिक समितियां मूलतः चार प्रकार की हैं—(i) कृषि साख/सेवा समितियां (ii) कृषि गैर साख समितियां (iii) गैर कृषि समितियां (iv) गैर कृषि गैर साख समितियां।

गौण समितियों में राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक व भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं। इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

हिमाचल में सहकारी समितियों का ढांचा



सबसे पहले गौण संस्थाओं का अध्ययन करेंगे।

राज्य बैंक : हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित) शिमला में स्थित है। यह राज्य में सहकारिता के क्षेत्र की शीर्ष संस्था है। इसका विस्तार राज्य के 6 जिलों तक सीमित है। सन् 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के विलय के पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक इन्हीं 6 जिलों में कार्यरत था। इनमें शिमला, किन्नौर, सिरमौर, बिलासपुर, मण्डी व चम्बा जिले शामिल हैं। इसकी लगभग 50 शाखायें राज्य में कार्यरत हैं। यह बैंक केन्द्रीय बैंकों को साख उपलब्ध कराता है।

केन्द्रीय बैंक : जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थित है। पंजाब से मिले क्षेत्रों में कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक (सीमित) धर्मशाला कार्य कर रहा है। इसकी शाखायें कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, हमीरपुर व ऊना में कार्यरत हैं। इसकी शाखाओं की संख्या 1993-94 में 90 हो गई है। इसका मुख्य कार्यालय धर्मशाला में स्थित है।

सोलन जिले में जोगेन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इसकी 11 शाखाएं कार्यरत हैं।

ये केन्द्रीय बैंक अल्प व मध्यावधि के लिए अपने समस्त प्राथमिक कृषि साख समितियों को साख उपलब्ध कराते हैं, जो इस साख को अपने सदस्यों में वितरित करती हैं। अल्पावधि ऋण 15 माह तक की अवधि के लिए होता है तथा कृषि उपज से सम्बन्धित होता है। मध्यावधि ऋण 3 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है। यह भैंस, बैल पम्पसैट इत्यादि को खरीदने हेतु दिया जाता है।

भूमि विकास बैंक : सहकारी भूमि विकास बैंक राज्य में शीर्ष संस्था है। यह राज्य के 12 में से 9 जिलों में कार्य कर रही है। इसकी 18 शाखाएँ हैं। इसके अलावा कांगड़ा में एक प्राथमिक भूमि विकास बैंक धर्मशाला में स्थित है। यह अपनी 5 शाखाओं के साथ तीन जिलों में कार्य कर रहा है। यह बैंक दीर्घ अवधि के लिए साख प्रदान करता है।

प्राथमिक समितियाँ

(1) प्राथमिक कृषि साख समितियाँ : इन्हें सेवा सहकारी के नाम से भी पुकारा जाता है। कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। राज्य में इन समितियों का पुनर्गठन कार्यक्रम पूरा हो चुका है।

किसी गांव या गांव समूह के दस या दस से अधिक सदस्य मिलकर सहकारी साख समिति बना सकते हैं। सदस्यों की संख्या 100 तक हो सकती है। समिति के सभी सदस्य आम सभा के सदस्य होते हैं। वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है तथा एक सदस्य एक वोट के आधार पर प्रबन्ध समिति का चुनाव होता है। दिन प्रतिदिन का काम चलाने के लिए एक सचिव होता है। प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क लिया जाता है। ये सभी सदस्य समिति के अंश (शेयर) खरीदते हैं। अनुसूचित जन-जाति के गरीब सदस्यों को अंश की राशि सहायता अनुदान के रूप में राज्य सरकार भी प्रदान कर देती है। सदस्य अपनी अमानतें भी जमा करते हैं इन्हें केन्द्रीय सहकारी बैंक ऋण प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य बैंक इन्हें सहायता अनुदान देता है। यह सारी राशि समिति की कार्यशील पूंजी होती है। इस राशि में से ही यह समिति सदस्यों को साख प्रदान करती है।

वर्ष 1988-89 में राज्य में इन समितियों की संख्या 2110 थी। इनके सदस्यों की संख्या 7.73 लाख थी। इन्होंने अपने सदस्यों में 22.65 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए। राज्य के शत-प्रतिशत गांव सहकारी साख समितियों के अधीन आ चुके हैं।

2. प्राथमिक कृषि गैर साख समितियाँ : ये समितियाँ कृषि क्षेत्र को साख के अलावा अन्य सुविधाएं प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में तीन संस्थानों का उल्लेख आवश्यक है।

(अ) कृषि आदानों का वितरण : राज्य में उर्वरकों के थोक में खरीदने के बेचने के काम के लिए हिमफैड कार्य कर रही है। सिरमौर, मण्डी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जिलों में जिला सहकारी विपणन संघ उप-थोक विक्रेता का कार्य करता है। शेष 6 जिलों में हिमफैड थोक व उप-थोक विक्रेता की भूमिका निभा रहा है।

(ब) कृषि सम्बन्धित वस्तुओं की आपूर्ति : 1982-83 में उन वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली 2150 खुदरा विक्रय करने वाली संस्थाएं थीं। इनमें से 1990 सहकारी क्षेत्र में कार्य कर रही थी। इस प्रकार इस क्षेत्र का 93 प्रतिशत कार्य सहकारी समितियों के पास था। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन समितियों ने लगभग 29 करोड़ रुपए का माल बेचा।

(स) भण्डारण : राज्य में कृषि पैदावार के भण्डारण हेतु गोदाम बनाने का कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-60) में शुरू हुआ। हिमाचल में आवागमन के साधन सीमित हैं, वर्षा से सड़कें टूट जाती हैं। ल्हासे गिर जाते हैं। ऐसे में माल का आना जाना महीनों बन्द रहता है। बर्फाले क्षेत्रों में तो 3-4 माह बाहरी दुनिया से सम्पर्क ही नहीं रहता। अतः हिमाचल में गोदामों का महत्व और भी अधिक है। छठी

योजना के अन्त तक राज्य में 1.65 लाख टन भण्डारण की क्षमता के गोदाम राज्य के अन्दरूनी गांवों में व शहरों में बनाये जा चुके थे। कुल 1500 गोदामों में से 1377 गांवों में थे।

(द) सहकारी विपणन संस्थायें : राज्य में आलू, सेब अदरक व चाय तथा चिलगोज़ा जैसी कृषि व बागवानी की उपजें स्थानीय आवश्यकताओं से बहुत अधिक होती हैं। ये नकदी फसलें हैं जो विक्रय के लिए ही पैदा की जाती हैं। सहकारी समितियां उपरोक्त वस्तुओं के विपणन का कार्य करती हैं। विपणन के अलावा ये सेब उत्पादकों को परिवहन व फारवर्डिंग की सेवाओं का प्रबन्ध भी करती हैं। राज्य में करीब 70 विपणन समितियां हैं। शीर्ष पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन व उपभोक्ता संघ है जिसका कार्यालय शिमला में है। जिला स्तर पर 11 जिला सहकारी विपणन संघ हैं। तहसील स्तर पर 48 सहकारी विपणन व आपूर्ति यूनियन/विपणन समितियां कार्य कर रही हैं।

3. प्राथमिक गैर कृषि साख समितियां : ये समितियां कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र के लिए कारीगर, मजदूर आदि को साख सुविधा उपलब्ध कराती हैं। इनमें उपभोक्ता भण्डार प्रमुख हैं। गांवों में उचित मूल्य की सहकारी दुकानें हैं जो दैनिक उपभोग की जरूरी चीजों का खुदरा व्यापार करती हैं। इनको साख सम्बन्धी सुविधा सहकारी केन्द्रीय बैंकों से मिलती है। ये प्रायः अनाज, चीनी, दालें, चाय, तेल, साबुन आदि वस्तुओं का व्यापार करती हैं।

मकान बनाने वाली सहकारी समितियां भी हैं। ये अपने सदस्यों को मकान बनाने हेतु साख प्रदान करती हैं।

4. गैर कृषि गैर साख समितियां : इन समितियों को प्रायः दो भागों में रखा जा सकता है। समाज के गरीब लोगों की सहायतार्थ तथा उद्योग व्यापार का कार्य।

(अ) (i) सहकारी मछली पालन समितियां : गोबिन्द सागर झील व पोंग बांध झील में मछली पकड़ने का कार्य गांवों में अनपढ़ व गरीब मछुआरे करते हैं। इन्हें मध्यस्थों के चंगुल से बचाने के लिए सहकारी समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां इन मछुआरों से मछली खरीदती हैं और उसके विक्रय का प्रबन्ध करती हैं। बिलासपुर व ऊना जिलों में लगभग 20 समितियों का गठन किया गया है। बिलासपुर में जिला स्तर का संगठन भी है। इन समितियों ने 1984-85 में 90 लाख रुपए की मछलियां बेचीं।

(ii) दुग्ध सहकारी समितियां : दुग्ध सहकारी समितियों का गठन राज्य के गांवों के पिछड़े व कमजोर वर्ग के सामाजिक व आर्थिक उत्थान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओपरेशन फ्लड-II के अधीन राज्य स्तर जिलों में पशु पालन विभाग की दुग्ध गतिविधियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है। छठी योजना के अन्त में राज्य में इस संघ के अधीन 45 प्राथमिक उत्पादक समितियां कार्य कर रही थीं। इन समितियों का कार्य सदस्यों से दूध इकट्ठा करना है। ऊना जिला में जिला दुग्ध यूनियन इस कार्य को कर रही है। छठी योजना के अन्त (1984-85) में राज्य में 150 समितियां थीं जिनकी सदस्य संख्या 9500 थी व इन्होंने एक करोड़ रुपये का व्यापार किया।

(iii) हथ-करघा बुनकर समितियां : 1984-85 में राज्य में 55 समितियां हथ-करघा बुनकरों की थीं जिनके सदस्यों की संख्या 1800 थी। उस समय इसके अधीन 460 करघे थे। 1984 में शीर्ष संस्था का गठन किया गया। इनका कार्य सदस्यों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, नये डिजाइन तैयार करने में मदद देना आदि था। इन समितियों ने उक्त वर्ष में 60 लाख का माल तैयार किया।

(ब) उद्योग क्षेत्र

(i) सहकारी चाय कारखाने : कांगड़ा जिला में चाय विधायन के लिए सहकारी क्षेत्र में तीन इकाइयां बीड़, वैजनाथ व पालमपुर में स्थापित की गई हैं। चौथी इकाई धर्मशाला के समीप दाड़ी में तैयार हो रही है। इनके सदस्यों की संख्या 785 थी। इनकी चाय उत्पादन क्षमता 11 लाख कि० ग्रा० है।

(iii) सहकारी विधायन समितियाँ : हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादन में अग्रणी हैं। उत्पादकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सेब उत्पादन क्षेत्र में सहकारी विपणन समितियों का गठन किया गया है। 1984-85 में राज्य में ऐसी 6 समितियाँ कार्य कर रही थीं। इनकी सदस्य संख्या 1300 के लगभग थी। ये समितियाँ सेब खरीदती हैं और जैम, ज्यूस आदि तैयार कर बेचती हैं।

राज्य में सभी प्रकार की प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या 1988-89 में 3841 थी जिसमें 9.2 लाख सदस्य थे। इस समय इनके द्वारा दिये गये ऋण 45 करोड़ थे।

सातवीं योजना के कुछ लक्ष्य (1985-1990)

- (1) अल्पावधि, मध्यावधि, व दीर्घावधि के 92 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराना।
- (2) कृषिगत उपज के विपणन में 12 करोड़ रुपए मूल्य का लक्ष्य प्राप्त करना।
- (3) 12 करोड़ रुपए के उर्वरक किसानों को बेचना।
- (4) गोदामों की क्षमता में 1.9 लाख टन का विस्तार करना।
- (5) उचित मूल्यों की दुकानों तथा उपभोक्ता भण्डारों से 40 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुएं बेचना।
- (6) सहकारिता के विकास पर 10 करोड़ रुपए का व्यय करना।

अभ्यास-प्रश्न

(अ) निम्नलिखित प्रश्न

- (1) सहकारिता आन्दोलन का ढांचा बताते हुए गौण संस्थाओं का वर्णन करो।
- (2) कृषि साख समितियों का गठन कैसे होता है ? वर्तमान स्थिति बताओ।
- (3) कृषि क्षेत्र की गैर साख समितियों का विस्तार से वर्णन करो।
- (4) गैर कृषि की गैर साख समितियों का वर्णन करो।

(ब) लघु उत्तर प्रश्न

- (i) सहकारिता का अर्थ बताते हुए स्वतन्त्रता पूर्व स्थिति का उल्लेख करो।
- (ii) राज्य सहकारी बैंक पर नोट लिखो।
- (iii) उद्योग क्षेत्र में सहकारिता का वर्णन करो।
- (iv) सहकारिता के सम्बन्ध में योजना के लक्ष्यों का उल्लेख करो।
- (v) सहकारिता व विपणन पर नोट लिखो।

(स) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

रिक्त स्थान भरो

- (i) हिमाचल प्रदेश में पहली सहकारी समिति सन् में स्थापित हुई।
- (ii) 1990 में राज्य में सहकारी समितियाँ थीं।
- (iii) सातवीं योजना में उचित मूल्यों की दुकानों से रुपये मूल्य के विक्रय का लक्ष्य है।
- (iv) अप्रेशन के अधीन दुग्ध उत्पादकों का एक संघ बनाया गया है।
- (v) में मछली पालन समितियों का जिला स्तर का संगठन है।

सही (✓) व गलत (×) के चिन्ह लगाओ।

- (i) हिमाचल के सभी गांवों में सहकारी आन्दोलन फैल गया है।
- (ii) सामाजिक व आर्थिक उत्थान में सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है।
- (iii) भूमि विकास बैंक दीर्घ कालीन ऋण नहीं देता।
- (iv) अधिकांश गोदाम शहरों में बनाये गये हैं।
- (v) गैर साख समितियाँ सदस्यों को ऋण देती हैं।